कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/2018 दिनांक 06.08.2018 द्वारा श्री विजेन्द्र कुमार सुरोलिया एपीओ प्रधानाचार्य–तत्कालीन उपनिदेशक कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर को निलम्बन से बहाली के उपरान्त राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरनबास जिला सीकर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया था जिसके विरूद्ध श्री सुरोलिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 5800/2018 विजेन्द्र कुमार सुरोलिया बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 5800/2018 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.2018 द्वारा प्रार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (Reasoned speaking order) प्रसारित कर दो माह के भीतर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पुत्र के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग होने एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन जयपुर जिले में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। याचिकार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासना, जमवारामगढ जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहते हुए स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों से इनके व्यवहार का संयमपूर्ण न होना, छात्राओं के साथ अश्लील व अभद्र व्यवहार की शिकायतों के चलते विभागीय आदेश दिनांक 05.04.2018 द्वारा निलम्बित कर मुख्यालय कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा गया था। तत्पश्चात् इन्हें निलम्बन से बहाली के उपरान्त राज्य हित में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुरनबास जिला सीकर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया ताकि विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े तथा स्थानीय माहौल खराब ना हो। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष (जोब चार्ट के अनुसार) राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम है। इसी को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्री विजेन्द्र कुमार सुरोलिया की मांग नियमानुकुल नहीं होने के कारण अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एस.बी.सिविल/5800/विजेन्द्र/2018 दिनांक 03.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जयपुर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक, सीकर/जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)